अनुदान संख्या 18 – रक्षा मंत्रालय (विविध)
GRANT No. 18 - MINISTRY OF DEFENCE (MISC)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
मूल	*Original*	*66,00*		*73,00*	*22,90*	*-50,10*
पूरक	*Supplementary*	*7,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3,37*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	27270,00,00		29488,81,00	29436,74,60	-52,06,40
पूरक	Supplementary	2218,81,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
मूल	*Original*	*35,00,00*		*40,00,00*	*35,22,68*	*-4,77,32*
पूरक	*Supplementary*	*5,00,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	6932,85,00		7187,05,00	7179,55,79	-7,49,21
पूरक	Supplementary	254,20,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹41.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें / अधिक व्यय निम्निलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹41.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	4299.00			
			3839.00	3700.19	-138.81
पु.	R.	-460.00			
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	238527.00			
पू.	S.	9078.00	252005.00	253929.49	+1924.49
पु.	R.	4400.00			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	443763.00			
पू.	S.	70028.00	509978.00	518554.49	+8576.49
पु.	R.	-3813.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	126427.00	138895.00	144926.89	+6031.89
पू.	S.	12468.00			
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	1830283.00	1955067.00	1934190.14	-20876.86
पू.	S.	124784.00			

(I) ₹884.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" के अंतर्गत मार्च, 2020 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्ता रहा :–

(का) "रक्षा विभाग" – ₹18599.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹961.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹19560.00 लाख किया गया। तथापि, ₹1046.42 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, आईटी संबंधी मदों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹884.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Supplementary grant obtained in March, 2020 under Major Head "2052" - "Secretariat" remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(A) "Department of Defence (DoD)" - the original provision of ₹18599.00 lakhs was augmented to ₹19560.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹961.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1046.42 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of procurement of IT related items, requirement of less funds towards office expenses and non-completion of works by Central Public Works Department.

(खा) "रक्षा उत्पादन विभाग" – ₹2884.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹119.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3003.00 लाख किया गया। तथापि, ₹557.47 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(B) "Department of Defence Production (DP)" - the original provision of ₹2884.00 lakhs was augmented to ₹3003.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹119.00 lakhs. However, there was a saving of ₹557.47 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(III) मार्च, 2020 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नालिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(III) Supplementary grant obtained in March, 2020 remained unutilized under the following major heads to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "अन्य कार्यालय" –

(A) Major Head "2052" - "Other Offices" -

(क) "रक्षा लेखा विभाग" – ₹156676.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹29218.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹185894.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹9900.14 लाख की सीमा तक रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी, अन्य प्रशासनिक खर्चों तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(a) "Defence Accounts Department (DAD)" - the original provision of ₹156676.00 lakhs was augmented to ₹185894.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹29218.00 lakhs which, however, remained unutilsed to the extent of ₹9900.14 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards information technology, other administrative expenses and other establishment related expenses.

(ख) "रक्षा संपदा संगठन" – ₹47449.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2261.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹49710.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹2098.15 लाख की सीमा तक रिक्त पदों के न भरे जाने तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के बनाने के लिए अनुदानों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(b) "Defence Estate Organisation (DEO)" - the original provision of ₹47449.00 lakhs was augmented to ₹49710.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2261.00 lakhs which, however, remained unutilsed to the extent of ₹2098.15 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards grants for creation of capital assets, information technology and other establishment related expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष "2075" – "कैंटीन स्टोर विभाग – कैंटीन सेवाएं निदेशालय" – ₹1830283.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹124784.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1955067.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹20876.86 लाख की सीमा तक संविदाकारों से दिहाड़ियों,

(B) Major Head "2075" - "Canteen Stores Department(CSD) - Directorate of Canteen Services" - the original provision of ₹1830283.00 lakhs was augmented to ₹1955067.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹124784.00 lakhs which,

आपूर्ति तथा सामग्रियों संबंधी बिलों की प्राप्ति में विलंब होने/उनकी स्वीकृति न होने तथा केंटीन स्टोर विभाग डिपुओं से संबंधित लघु मरम्मत कार्यों को मंजूरी न मिलने के कारण अप्रयुक्त रहा।

however, remained unutilsed to the extent of ₹20876.86 lakhs - due to delay in receipt/non clearance of bills on account of wages, supply and materials from contractors and non-sanction of minor repair works in respect of Canteen Stores Department depots.

(IV) मुख्य शीर्ष "2014" – "अन्य व्यय – सशस्त्र सेना अधिकरण" – ₹598.81 लाख की बचत (₹4299.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने तथा वेतन एवं अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2014" - "Other Expenditure - Armed Forces Tribunal" - saving of ₹598.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4299.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards salary and other establishment related expenses.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :–

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2037" – "उपचारात्मक एवं अन्य कार्यकलाप – तट रक्षक संगठन" – ₹6324.49 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹9078.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹247605.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अधिक दौरे किए जाने, नए तटरक्षक स्टेशनों के एक्टिवेशन/कमीशनिंग, नए पोतों और नौकाओं को शामिल किए जाने, बकाया टीए/डीए दावों का निपटान किए जाने, रक्षा संपदा संगठन द्वारा अप्रत्याशित करों का अपरिहार्य भुगतान किए जाने और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशंस (डीएवीपी) के संबंध में देयताओं को अग्रेषित करने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Major Head "2037" - "Preventive & Other Functions - Coast Guard Organisation" - excess of ₹6324.49 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹247605.00 lakhs including supplementary grant of ₹9078.00 lakhs obtained in March, 2020) was due to filling up of vacant posts, more tours undertaken, requirement of additional funds towards activation/ commissioning of new Coast Guard stations, induction of new ships and boats, settlement of outstanding TA/DA claims, unavoidable payment of unforeseen taxes by Defence Estate Organisations and carry over liabilities in respect of Bureau of Outreach and Communications (DAVP) and other establishment related expenses.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – सीमा सड़क संगठन" – ₹18583.66 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹37469.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹254791.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा भत्तों, वस्त्र और टैंटों तथा राशन की लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Major Head "2052" - "Secretariat - Border Roads Organisation" - excess of ₹18583.66 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹254791.00 lakhs including supplementary grant of ₹37469.00 lakhs obtained in March, 2020) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances, clothing and tentage and cost of ration.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" – "विशेष पुलिस – जे एंड के लाईट इन्फ्रेंट्री (जेएकेएलआई) के संबंध में अदा किए गए

(III) Major Head "2055" - "Special Police - Charges paid in respect of J&K Light Infantry

प्रभार" – ₹6031.89 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹12468.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹138895.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा भत्तों और सैनिकों के मूवमेंट संबंधी प्रशिक्षण अभ्यास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(JAKLI)" - excess of ₹6031.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹138895.00 lakhs including supplementary grant of ₹12468.00 lakhs obtained in March, 2020) was due to requirement of additional funds towards pay & allowances and training exercise on movement of troops.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹477.32 लाख*) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए *₹500.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 95 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 12 प्रतिशत थीं।

4. In the charged portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹ 477.32 lakhs*) constituted 95 percent of the supplementary *appropriation* of *₹ 500.00 lakhs* obtained in March, 2020 and 12 percent of the total sanctioned *appropriation*.

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹456.33 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 13 प्रतिशत थी।

(I) Under one head saving of *₹ 456.33 lakhs* occurred constituting 13 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ :

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	250000.00	259500.00	257791.89	-1708.11
पू.	S.	9500.00			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1977.00	1261.00	908.02	-352.98
पु.	R.	-716.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1082.00	674.00	516.68	-157.32
पु.	R.	-408.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	23210.00	..	..	..
पु.	R.	-23210.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	416726.00	457100.00	458584.20	+1484.20
पू.	S.	15920.00			
पु.	R.	24454.00			

(I) ₹23215.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹23210.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत सड़क विकास कार्य" के अंतर्गत – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹23215.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹23210.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Road Works - Road Development Works under Border Roads Organisation" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क – तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत – ₹250000.00 लाख के मूल प्रावधान को

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Coast Guard Organisation" - the original provision of

मार्च, 2020 में ₹9500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹259500.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹1708.11 लाख की सीमा तक कार्यपालक एजेंसी द्वारा कम निधियों की आवश्यकता और विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – रक्षा संपदा संगठन" के अंतर्गत – ₹816.74 लाख की बचत (₹1341.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – निर्माण" के अंतर्गत – ₹560.32 लाख की बचत (₹1077.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य/सेवाएं पूरा न किए जाने के कारण हुई।

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹24454.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2020 में मुख्य शीर्ष "5054" – "सामरिक तथा सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹15920.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्ताविक अधिक व्यय, ₹25938.20 लाख था।

₹250000.00 lakhs was augmented to ₹259500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9500.00 lakhs in March, 2020 which, however, remained unutilised to the extent of ₹1708.11 lakhs - due to requirement of less funds by the executing agency and foreign exchange rate variation.

(III) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Defence Estate Organisation" - saving of ₹816.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1341.00 lakhs) was due to non-finalisation of various projects.

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction" - saving of ₹560.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1077.00 lakhs) was due to non-finalisation of various projects and non-completion of works/services by executing agencies.

6. The above savings were partly (₹24454.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹15920.00 lakhs in March, 2020 under Major Head "5054" - "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Road Organisation". Actual excess, however, was ₹25938.20 lakhs.